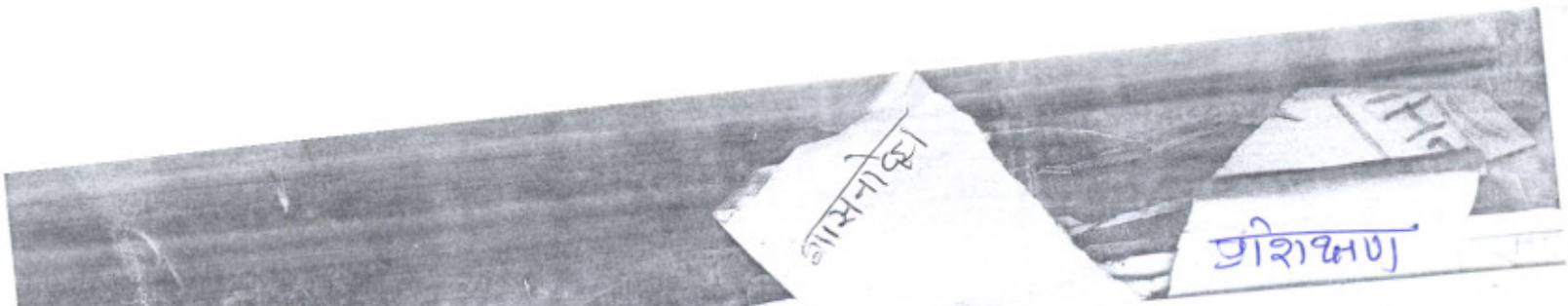

37

विषय :- 2473 सेक-14/डॉप - 227/94

प्रेषक,

श्री टी० एम० टण्डन,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

चिकित्सा अनुभाग - 14 लखनऊ : दिनांक 2 जून, 1995

विषय : प्रदेश के राजकीय मेडिकल कालेजों/होम्योपैथी/आयुर्वेदिक/यूनानी कालेजों में एम०बी०बी०एस०/बी०डी०एस०/बी०एच०एम०एस०/बी०यू०एम०एस०/बी०यू०एम०एस० पाठ्यक्रमों में शैक्षिक सत्र 1995-96 में प्रवेश हेतु कम्बाइण्ड प्री-मेडिकल टेस्ट (सी०पी०एम०टी०) 1995 का आयोजन ।

xxxxxx

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के राजकीय ऐलोपैथिक मेडिकल कालेजों तथा किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ में एम०बी०बी०एस० पाठ्यक्रम एवं होम्योपैथिक/आयुर्वेदिक/यूनानी कालेजों में क्रमशः बी०एच०एम०एस०/बी०डी०एस०/बी०यू०एम०एस० पाठ्यक्रमों तथा किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ के डेन्टल संकाय में बी०डी०एस० पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए शैक्षिक सत्र 1995-96 हेतु अभ्यर्थियों के चयन के लिये वर्ष 1995 कम्बाइण्ड प्री-मेडिकल टेस्ट (सी०पी०एम०टी०) 1995 कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर द्वारा आयोजित कराया जायेगा तथा इस टेस्ट द्वारा निम्नलिखित पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में निर्धारित सीटों पर प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों का चयन किया जायेगा :-

(1) प्रदेश के 8 राजकीय मेडिकल कालेजों तथा किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ में एम०बी०बी०एस० पाठ्यक्रम ।
(2) किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ के डेन्टल संकाय में बी० डी० एस० पाठ्यक्रम ।
(3) प्रदेश के समस्त होम्योपैथिक कालेजों में बी०एच०एम०एस० पाठ्यक्रम ।
(4) प्रदेश के समस्त राजकीय आयुर्वेदिक कालेजों में बी०ए०एम०एस० पाठ्यक्रम ।
(5) प्रदेश के दोनों राजकीय यूनानी कालेजों में बी०यू०एम०एस० पाठ्यक्रम ।

[redacted]

उपर्युक्त पाठ्यक्रमों में शैक्षिक सत्र 1995-96 में सी०पी०एम०टी०-1995 द्वारा भरी जाने वाली सीटों का कालेजवार तथा पाठ्यक्रमवार विवरण तालिका-1 में किया गया है जिसमें सामान्य सीटों की संख्या तथा विभिन्न श्रेणियों के अन्य पिछड़ों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या का निर्धारण विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा।

2. कम्बाइण्ड प्री- मेडिकल टेस्ट- 1995 के आयोजन के सम्बन्ध में उपर्युक्त के अतिरिक्त शासन द्वारा निम्नलिखित निर्णय भी लिए गये हैं:-

(1) सी०पी०एम०टी०-1995 की परीक्षा का विज्ञापन 15 जून, 1995 तक दिया जाय तथा फार्म जमा करने की तिथि 10 जुलाई, 1995 तक रखी जाय और परीक्षा माह अगस्त, 1995 के प्रथम सप्ताह में आयोजित की जायेगी। परीक्षाफल 7 सितम्बर, 1995 तक घोषित कर दिया जायेगा। शिक्षा सत्र 15 सितम्बर, 1995 से प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

(2) कुलपति कानपुर विश्वविद्यालय आयोजन के सभी पहलुओं को देखेंगे, परीक्षा विषयक समस्त कार्यों का सतत अनुश्रवण करेंगे और विशेष रूप से ऐसे उपायों को सुनिश्चित करेंगे जिससे इस परीक्षा के सम्बन्ध में कोई प्रकरण लीकेज, त्रुटि अथवा भ्रष्टाचार की गुंजाइश न रहे। कुलपति परीक्षाफल पर भी सभी पहलुओं से विचार करेंगे तथा परीक्षाफल के आधार पर मेरिट सूची में आये छात्रों को विभिन्न कालेजों में प्रवेश के लिए चयन/आवंटन करेंगे। परीक्षा के आयोजन के पश्चात कुलपति, कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर द्वारा परीक्षाफल घोषित कराया जायेगा। सी०पी०एम०टी०- 1995 के निर्विवाद, निर्विघ्न एवं त्रुटि रहित सम्पन्न कराने, त्रुटि रहित परीक्षाफल तैयार कराने और परीक्षाफल शासन को हस्तगत कराने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व व्यक्तिगत रूप से कुलपति, कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर का होगा। इस कार्य के विभिन्न स्तरों पर कुलपति द्वारा उनके अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों के बीच उत्तरदायित्व स्पष्ट रूप से सौंपा जायेगा जिससे किसी त्रुटि के दशा में दोषी व्यक्ति को दण्डित किया जा सके। ऐसी संस्थाएं जिनसे इस हेतु कार्य कराया जाय, उनसे किए अनुबंधों में दायित्व भी स्पष्ट रूप से लिखे जायें।

—3/—

13. गत वर्षों की भाँति परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों (आब्जेक्टिव) पर आधारित होगी।

14. सी०पी०एम०टी० - 1995 में वर्तमान नीति के अनुसार चार विषयों अर्थात् भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र तथा जन्तु विज्ञान (फिजिक्स, केमेस्ट्री, बॉटनी तथा जूलोजी) में परीक्षा ली जायेगी। सभी प्रश्न पत्र इण्टरमीडिएट पाठ्य क्रम पर आधारित होंगे। अभ्यर्थियों के हिन्दी के सामान्य ज्ञान के परीक्षण हेतु हिन्दी का एक अतिरिक्त प्रश्नपत्र होगा जिससे यह स्पष्ट हो सके कि अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश की जनता की भाषा समझ सकता है और उस भाषा में अपने विचार प्रकट कर सकता है। उक्त उद्देश्य को ध्यान में रखते हुये हिन्दी का प्रश्नपत्र बनाया जायेगा और वह भी वस्तुनिष्ठ (आब्जेक्टिव) होगा तथा हाईस्कूल स्तर का होगा। हिन्दी का प्रश्नपत्र एक घन्टे की अवधि का होगा और इस प्रश्नपत्र के अंक अभ्यर्थियों के कुल प्राप्तांकों में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे। इसी प्रकार जिन अभ्यर्थियों ने इण्टरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा में अंग्रेजी विषय में परीक्षा नहीं उत्तीर्ण की है, उनके लिए एक प्रश्नपत्र अंग्रेजी का होगा, जो 100 अंक का होगा और 35 प्रतिशत अर्हकारी अंक होंगे। यदि किसी अभ्यर्थी का मेरिट के आधार पर चयन हो जाता है और अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण रहता है तो हिन्दी परीक्षा के अनुसार ही उसे अंग्रेजी परीक्षा उत्तीर्ण करने का अवसर प्रदान किया जायेगा। अंग्रेजी का प्रश्नपत्र भी एक घन्टे की अवधि का होगा। इस प्रश्नपत्र के अंक भी अभ्यर्थियों के कुल प्राप्तांकों में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे अर्थात् अभ्यर्थी की मेरिट केवल फिजिक्स, केमेस्ट्री, बॉटनी तथा जूलोजी के प्रश्नपत्रों के प्राप्तांकों के योग के आधार पर अवधारित की जायेगी। किन्तु हिन्दी के प्रश्नपत्र में प्रत्येक अभ्यर्थी को न्यूनतम 35 प्रतिशत अर्हकारी अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। फिजिक्स, केमेस्ट्री, जूलोजी तथा बॉटनी के प्रश्नपत्र वर्तमान नीति के अनुसार 300-300 अंकों के होंगे तथा प्रत्येक प्रश्नपत्र में 100 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्नपत्र की परीक्षा अवधि 2½ (ढाई) घन्टे होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए तीन अंक प्रदान किए जायेंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक अंक काट लिए जायेंगे। एक दिन में दो विषयों की परीक्षा प्रातः तथा अपरान्ह में आयोजित की जायेगी। हिन्दी/अंग्रेजी का प्रश्नपत्र इस प्रकार समायोजित किया जायेगा कि सम्पूर्ण परीक्षा कुल दो दिन में पूर्ण हो जाय।

---4/-

[5] मेरिट सूची में अभ्यर्थी का मेरिट क्रम फिजिक्स, केमेस्ट्री, जुलोजी तथा बॉटनी के प्रश्नपत्रों में उसके प्राप्तांको के योग के आधार पर होगा । एक से अधिक अभ्यर्थियों के उक्त चारों विषयों के प्राप्तांकों का योग समान होता है तो उस स्थिति में प्रत्येक अभ्यर्थी की पारस्परिक मेरिट का अवधारण प्रथमतः सम्बन्धित अभ्यर्थियों के केमेस्ट्री के प्रश्नपत्र के प्राप्तांकों के मेरिट क्रम में किया जायेगा । केमेस्ट्री के प्रश्नपत्र में भी एक से अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान होने पर जुलोजी के प्रश्नपत्र के प्राप्तांक के आधार पर मेरिट निर्धारित की जायेगी । इसके उपरान्त भी यदि मेरिट क्रमांक का अवधारण न हो तो सम्बन्धित अभ्यर्थियों के क्रमशः बॉटनी तथा उसके बाद फिजिक्स के प्रश्न पत्र के प्राप्तांक के क्रम में मेरिट निर्धारित की जायेगी और अन्त में यदि उक्त सभी विषयों के बावजूद मेरिट निर्धारित नहीं हो पाती तो सम्बन्धित अभ्यर्थियों को मेरिट क्रम मुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा द्वारा नामित अधिकारी के समक्ष लाटरी । टॉस। के आधार पर निर्धारित किया जायेगा ।

[6] इन्टरमीडियट विज्ञान । बायलोजी ग्रुप । परीक्षा उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थी सी0पी0एम0टी0- 1995 में सम्मिलित होने हेतु अर्ह होंगे । सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी से विज्ञान विषय सहित मध्यमा परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी बी0ए0एम0एस0 पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु परीक्षा में बैठने के लिए अर्ह होंगे । पुरानी स्कीम में बी0यू0एम0एस0 पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु सी0पी0एम0टी0-1995 में सम्मिलित होने के लिए इन्टरमीडियट विज्ञान । बायलोजी ग्रुप। के साथ उत्तीर्ण अभ्यर्थी को कक्षा-8 के समकक्ष उर्दू विषय की परीक्षा में भी उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा । प्रवेश मेरिट के आधार पर होगा, परन्तु सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए एम0बी0बी0एस0 / बी0डी0एस0 पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी के फिजिक्स केमेस्ट्री, जुलोजी तथा बॉटनी विषयों में कुल मिलाकर न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों प्राप्त करना अनिवार्य होगा । इसी प्रकार [illegible] तथा सी0ए0एम0एस0 वर्गों में प्रवेश के लिए [illegible] बॉटनी में न्यूनतम अंकों का 35 प्रतिशत होगा । [illegible] अभ्यर्थी को [illegible] 35 प्रतिशत [illegible]

अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा । यदि कोई अभ्यर्थी हिन्दी/अंग्रेजी प्रश्न पत्र में उत्तीर्ण नहीं होता है और मेरिट में आता है, तो उसे संबंधित पाठ्यक्रम से दिया जायेगा । ऐसे छात्रों को तीनों प्रोफेशनल परीक्षाओं के साथ हिन्दी/अंग्रेजी परीक्षा उत्तीर्ण करने के अवसर दिये जायेंगे तथा यदि वह तीनों अवसरों के उपरांत भी हिन्दी/अंग्रेजी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाता है तो वह डिग्री पाने का अधिकारी नहीं होगा ।

47। सी0पी0एम0टी0 -1995 में विभिन्न श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए निम्नवत् "हारिजेन्टल" आरक्षण की व्यवस्था रखी जायेगी:-

1-	स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के वास्तविक आश्रितों	- 05 प्रतिशत
2-	युद्ध में शहीद/अंग सैनिकों के पुत्र/पुत्री के लिए-	02 प्रतिशत
3-	विकलांग अभ्यर्थियों के लिए-	- 02 प्रतिशत
4-	पहाड़ी क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए-	- 03 प्रतिशत
5-	उत्तरांचल क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए-	- 03 प्रतिशत

सी0पी0एम0टी0 के माध्यम से * भरी जाने वाली प्रत्येक मेडिकल कालेज में उपलब्ध प्रत्येक पाठ्यक्रम की कुल सीटों पर निम्नवत् "वर्टिकल" आरक्षण का प्रावधान रखा जायेगा :-

1-	अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी -	21 प्रतिशत
2-	अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी -	02 प्रतिशत
3-	अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी -	27 प्रतिशत

शासनादेश संख्या 6550/चि-14/पाँच-111/93, दिनांक 17 12-94 एवं आर0ओ0 सी0एम0ई4-नं0-14/पाँच-156/93 दिनांक 14 फरवरी, 1995 प्रतिलिपि सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न । में जारी आदेशों के अनुसार उपरोक्त आरक्षण लागू किया जायेगा ।

उपर्युक्त आरक्षित श्रेणियों की सीटों के संबंध में निम्नलिखित शर्तों का पालन किया जायेगा:-

(क) स0पी0एम0टी0 1995 की परीक्षा में अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों के रोल नम्बर, उत्तर पुस्तिका में अलग से चिन्हित नहीं किये जायेंगे । प्रवेश पत्र में भी श्रेणी सूचक कोई चिन्ह या कोड नहीं रखा जायेगा ।

(ख) अनुसूचित जनजाति के अर्ह अभ्यर्थी पूर्वांचल में उपलब्ध न होने पर इस हेतु आरक्षित सीटों को अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों द्वारा भरा जायेगा ।

-----6/-

(ग) प्रत्येक श्रेणी के अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर केवल एक संगत श्रेणी, जिसके अन्तर्गत वह सी0पी0एम0टी0 1995 हेतु अभ्यर्थन कर रहा है, सुस्पष्ट रूप में इंगित करनी होगी । किसी अस्पष्टता अथवा प्रमाण-पत्र के निर्धारित प्रपत्र पर न होने की स्थिति में उसे सामान्य श्रेणी का अभ्यर्थी माना जायेगा तथा यह किसी भी दशा में किसी आधार पर भी परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा ।

(घ) 'पहाड़ी क्षेत्र' का तात्पर्य जिला टेहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा के सभी क्षेत्रों तथा जिला देहरादून और नैनीताल के परिमान नीति के अनुसार परिभाषित क्षेत्र माने गये क्षेत्रों में से है । निर्णय अधिकार संबंधित जिलाधिकारी करेंगे । (ङ) 'उत्तरांचल क्षेत्र' से अभिप्राय तात्पर्य जिला उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, तथा चमोली के सभी क्षेत्रों से है । फार्म में यह स्थिति स्पष्ट कर दी जाय ।

(छ) विकलांग अभ्यर्थियों को सुरक्षित सीटों पर एम0बी0बी0एस0 /बी0डी0एस0/ बी0एच0एम0एस0/सी0ए0एम0एस0/बी0ए0एम0एस0 पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अभ्यर्थियों को अपनी चिकित्सा परीक्षा प्रवेश के किसी एक राजकीय मेडिकल कालेजों में राजपत्र गठित मेडिकल बोर्ड से करानी होगी और उक्त बोर्ड द्वारा इस श्रेणी की आरक्षित सीट के समक्ष उसके अभ्यर्थन के संबंध में दिया गया निर्णय अंतिम रूप से मान्य होगा । केवल उपर्युक्त बोर्ड द्वारा संस्तुत अभ्यर्थियों को ही विकलांग आरक्षित श्रेणी के अन्तर्गत सी0पी0एम0टी0 में बैठने की अनुमति होगी । अभ्यर्थी की विकलांगता संबंधी उक्त प्रमाण-पत्र सी0पी0एम0टी0 फार्म पर ही इंगित प्रारूप में उपलब्ध कराया जायेगा । मेडिकल कालेजों में उक्त विशेष मेडिकल बोर्ड के गठन के संबंध में आवश्यक आदेश अलग से जारी किये जायेंगे सी0पी0एम0टी0 1995 के फार्म पर प्रमाण-पत्र के प्रारूप में ही अभ्यर्थी को अपेक्षित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा उसके अतिरिक्त अलग से प्रस्तुत प्रमाण-पत्र या अन्य किसी चिकित्सक द्वारा दिये गये प्रमाण-पत्र के आधार पर किसी अभ्यर्थी को विकलांग श्रेणी के अन्तर्गत सी0पी0एम0टी0 में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी । यदि ऐसा कोई अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी में प्रवेश के लिए अपेक्षित नहीं है तथा विकलांग श्रेणी के अन्तर्गत सम्मिलित होने हेतु उपयुक्त घोषित नहीं किया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी के लिए सी0पी0एम0टी0 में सम्मिलित हो सकते हैं किन्तु यदि किसी अभ्यर्थी की बोर्ड की राय में विकलांगता इस सीमा तक है कि वह चिकित्सा शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता है तो ऐसे अभ्यर्थी सी0 पी0एम0टी0 में सम्मिलित होने हेतु अर्ह नहीं होंगे । आवेदन पत्र के साथ संलग्न तथा स्थान आवेदन पत्र में प्रमाण

——7/-

पत्र के संलग्न करने का उल्लेख होने पर नीचे के प्रस्तर के अनुसार प्रमाण पत्र मान्य होगा।

(ख) पहाड़ी क्षेत्र, उत्तराखण्ड/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ी जाति, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के वास्तविक आश्रित और युद्ध में शहीद/अंग सैनिकों के पुत्र/पुत्री श्रेणी के आरक्षित के अभ्यर्थियों के लिये संगत श्रेणी के अभ्यर्थी होने के सम्बन्ध में अपेक्षित प्रमाण-पत्र सी०पी०एम०टी० 1995 के आवेदन पत्र में वर्णित विवरण के अनुसार होंगे तथा अभ्यर्थियों के लिये अनिवार्य होगा कि वे आवेदन पत्र पर यथा संलग्न निर्धारित प्रमाण पत्र के प्रारूप पर ही संगत प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त करके प्रस्तुत करें। आवेदन पत्र प्रेषित करने के बाद अथवा अन्य से प्रेषित/प्रस्तुत किये गये प्रमाण पत्र यदि वह आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है, तो किसी भी दशा में मान्य नहीं होंगे। चाहे प्रमाण पत्र का प्रारूप आवेदन पत्र में निर्दिष्ट प्रारूप के अनुरूप ही न हो। अभ्यर्थियों द्वारा सी०पी०एम०टी० फार्म पर मुद्रित प्रारूप पर यदि अन्य से भी प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाता है तो वह भी मान्य होगा परन्तु अभ्यर्थियों के लिये यह आवश्यक होगा कि वह फार्म पर अंकित कर दें कि उन्होंने प्रश्नगत प्रमाण-पत्र अन्य से आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया है।

(ग) प्रदेश के बाहर से प्रदेश में प्रवासित अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों, जो सी०पी०एम०टी० में सम्मिलित होने हेतु अन्यथा अर्ह है, के लिये जाति प्रमाण पत्र शासनादेश संख्या-22/5-1982 कार्मिक-2, दिनांक 19 अप्रैल, 1983 के साथ पठित भारत सरकार, गृह मंत्रालय के पत्र संख्या-वी०सी० 1601/4/82 एस.सी. (कैड वी.सी.डी. -1), दिनांक 25 नवम्बर, 1982 (प्रतिलिपि तुलसी संदर्भ हेतु संलग्न है) में निहित निर्देशानुसार सी.पी.एम.टी. 1993 के प्रार्थना पत्र फार्म में यथा संशोधन संशोधित कर दिया जाये। सक्षम प्राधिकारी शासनादेशों में निहित प्रक्रियानुसार तत्संबंधी प्रमाण पत्र जारी करेंगे। अभ्यर्थियों को यह स्पष्ट कर दिया जाये कि केवल सक्षम प्राधिकारी से सी. पी. एम. टी. फार्म पर निहित फार्म में प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने पर संगत श्रेणी के आरक्षण का लाभ पूर्व प्रस्तर के अनुसार अनुमन्य होगा।

(घ) आवेदन पत्र में लिखी या दी गयी किसी भ्रामक, गलत तथा तथ्यों से परे की सूचना के प्रकाश में आने पर प्रवेश के पूर्व अथवा प्रवेश के उपरान्त जैसी भी स्थिति हो, अभ्यर्थी का अभ्यावेदन/प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा। प्रवेशोपरान्त यह कार्यवाही सम्बन्धित महाविद्यालय के प्रधानाचार्य तथा इससे पूर्व कानपुर विश्वविद्यालय द्वारा की जायेगी।

5:- (1) परीक्षाफल प्रकाशन से पूर्व अथवा बाद में, जब भी आवश्यकता हो, राज्य सरकार का प्रत्येक पाठ्यक्रम की सीटों (जिनमें आरक्षित श्रेणी की सीटें सम्मिलित हैं) कमी/बढ़ोत्तरी अथवा उनके सम्बन्ध में अन्य कोई भी परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार रहेगा ।

(2) सी.पी.एम.टी. 1995 में बैठने वाले अभ्यर्थी एक से अधिक पाठ्यक्रम के लिए अपना विकल्प दे सकते हैं बशर्ते कि वह सम्बन्धित पाठ्यक्रम में प्रवेश की अर्हता रखते हों । अभ्यर्थी को प्रत्येक पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में विकल्प तथा पाठ्यक्रम से सम्बन्धित कालेज के लिये अपनी वरीयता क्रमानुसार अंकित करनी होगी । विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु अभ्यर्थी के विकल्प/विकल्पों का वरीयताक्रम एवं सम्बन्धित पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों के कालेजों के सम्बन्ध में अभ्यर्थी द्वारा सी.पी.एम.टी. 1995 के अपने आवेदन पत्र में इंगित वरीयता क्रम अन्तिम होगा और उसमें किसी भी दशा में परिवर्तन अथवा संशोधन की अनुमति अनुमन्य नहीं होगी । अभ्यर्थी द्वारा इंगित विकल्प वरीयताक्रम में उसके मेरिट के अनुसार केवल उच्च क्रमों की ओर पाठ्यक्रमों में प्रवेश/पुनरावर्तन की सुविधा प्रदान की जायेगी । नीचे के क्रमों की ओर पाठ्यक्रमों में प्रवेश/पुनरावर्तन की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी । मेरिट में प्राप्त स्थान तथा आवेदन पत्र में दिये गये विकल्प को दृष्टिगत रखकर प्रत्येक अभ्यर्थी को उपलब्ध सीटों के विरुद्ध प्रवेश दिया जायेगा ।

(3) सी.पी.एम.टी. 1995 के लिये आवेदन पत्र शुल्क रुपये 50/- तथा परीक्षा शुल्क रुपये 200/- होगा ।

जैसा कि ऊपर इंगित है कि परीक्षा को सुचारु रूप से चलाने के पूर्ण उत्तरदायित्व कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर के कुलपति का होगा । कुलपति कृपया निम्नलिखित बिन्दुओं को भी ध्यान में रखेंगे :-

(क) यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रश्नपत्रों के प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर के सम्बन्ध में कोई भ्रम या दोहरे उत्तर की अवधारणा की सम्भावना न रहे । प्रत्येक प्रश्न का एक ही सही उत्तर हो । प्रश्नपत्रों के हिन्दी अन्तर पेपर सेटर या गोपनीयता बनाये रखते हुए किसी अन्य विशेषज्ञ से कर लिया जाय, गोपनीयता को बनाये रखते हुए जैसा आवश्यक हो, हर्ष कुलपति द्वारा कोई ऐसी गोपनीय व्यवस्था की जानी चाहिये कि सही हल भली भाँति जाँच लिये जायें ताकि गलती की कोई सम्भावना न रहे । इसके साथ ही सी.पी.एम.टी. प्रश्नपत्रों के शुद्ध हलों/कुंजी उत्तरों के सम्बन्ध में कोई भ्रम या त्रुटि की लेशमात्र भी संभावना से बचने के लिये

.....9

सी.पी.एम.टी. प्रश्नपत्रों का माडरेशन भी विशेषज्ञों द्वारा कराया जाय तथा उत्तर पुस्तिकायें नष्ट न की जायें। सी.पी. एम.टी. आयोजित करने वाले विश्वविद्यालय के परीक्षक गण इस आधार पर सी. पी.एम.टी. प्रश्नपत्रों के निर्धारित उत्तर अंतिम रूप से मान्य होंगे। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि सी.पी.एम.टी. 1995 की परीक्षा में उत्तर पुस्तिकाओं में कार्बन कापी का प्रावधान नहीं होगा। उत्तर कुंजी का प्रकाशन भी नहीं किया जायेगा।

(8) आरक्षण के सम्बन्ध में भेदभाव की आशंकाओं को दूर करने के लिये उत्तर पुस्तिकाओं तथा प्रवेश-पत्रों पर श्रेणी का उल्लेख न किया जाये।

(9) परीक्षा संचालन में यदि कम्प्यूटरों का उपयोग किया जाता है तो कम्प्यूटर से पहले एवं कम्प्यूटर के बाद आंकड़ों आदि के सम्बन्ध में कुलपति द्वारा यह भली-भाँति सुनिश्चित कर लिया जाय कि किसी भी गलती की कोई सम्भावना न रहे।

परीक्षाफल तैयार करने में कम्प्यूटर की सहायता ली जाती है तो उत्तर पुस्तिकाओं में उत्तर की जाँच करने के स्थान पर सम्बन्धित केन्द्र को एच.बी. पेंसिल से डाला करने की व्यवस्था की जाये, जिसे कम्प्यूटर में डाटा फीड करते समय मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर के प्रयोग से समस्त डाटा बिना किसी त्रुटि के फीड हो सके। इस सिस्टम की क्षमता के विषय में कानपुर विश्वविद्यालय के कुलपति से परामर्श करने के उपरान्त ही निर्णय लिया जायेगा। परीक्षा का परिणाम शासन को निम्नलिखित प्रारूपों में दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जायेगा :-

(1) समस्त परीक्षार्थियों का रोल नम्बरवार परिणाम।

(2) सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों की संयुक्त मेरिट सूची।

(3) विभिन्न श्रेणी (सामान्य तथा आरक्षित) के अभ्यर्थियों की न्यूनतम अंकधारी अंकों तक अलग-अलग मेरिट सूचियाँ।

(4) कुलपति महोदय उपर्युक्त प्रत्येक सूची के प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर करेंगे अथवा प्रत्येक पृष्ठ पर उनके हस्ताक्षरों की मुहर लगी होनी चाहिये।

(10) सी.पी.एम. टी. 1995 की परीक्षा के सम्बन्ध में पूरा कार्यक्रम कुलपति, कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर द्वारा तैयार किया जायेगा। सी.पी.एम.टी. परीक्षा की तिथियाँ इस प्रकार रखी जायें कि वे विश्वविद्यालय की अन्य परीक्षाओं

15. [शासनादेशों के किसी बिन्दु की अस्पष्टता की स्थिति में विश्वविद्यालय तत्सम्बन्धी कार्यवाही के पूर्व शासन से स्पष्ट दिशा बोध/निर्णय प्राप्त करेंगे ।

16] सी.पी.एम.टी. का परीक्षाफल घोषित होने के बाद प्रवेश देने की कार्यवाही मेरिट/विकल्प के आधार पर ही की जाए ।

17] यदि अभ्यर्थी द्वारा दिये गये विकल्प में विश्वविद्यालय द्वारा किसी कारणवश संशोधन किया जाता है अथवा उसे निरस्त किया जाता है तो परीक्षा प्रारम्भ होने के पूर्व उसे तदनुसार विश्वविद्यालय द्वारा सूचित कर दिया जायेगा । यदि छात्र द्वारा दिया गया विकल्प उपलब्ध ही नहीं है तो उसे सामान्य श्रेणी का अभ्यर्थी माना जायेगा । कृपया इसे भी इसे स्पष्ट कर दिया जाये ।

परीक्षाफल घोषित हो जाने के उपरान्त यथास्थिति 15 दिन के भीतर प्रवेश दे दिया जाय और यथा सम्भव एक सप्ताह में ही विद्यालय पुनरावलोकन भी पूर्ण कर लिया जाय ।

6— आपसे अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त आदेशों के अनुसार सी.पी.एम.टी. 1995 सम्पादित कराने की कार्यवाही तत्काल करने का कष्ट करें । इस टेस्ट के सम्बन्ध में जो समय सारिणी निर्धारित की जाय, उसकी प्रतियाँ तथा निर्गत किये गये सी.पी.एम.टी. 1995 आवेदन पत्रों की 15 प्रतियाँ शासन के उपयोगार्थ तत्काल भेजी जाय ।

7— मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि कुलपति, कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर से अनुरोध किया जाय कि वे कृपया तदनुसार सी.पी.एम.टी. 1995 आयोजित करने के लिये यथा शीघ्र आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें ।

भवदीय,
Rai Lendon
[टी.एन. लेण्डन]
उप सचिव

संख्या 2473 [सं.-1 4/चौ.-95, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. कुलपति, कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर/इलाहाबाद/आगरा/लखनऊ/मेरठ/गोरखपुर/बुन्देलखण्ड [झाँसी]/बरेली/कुमायूँ विश्वविद्यालय, नैनीताल/सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी/अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद/गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर/बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी/पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर ।
2. रजिस्ट्रार, कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर ।
3. महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

.....11

4. निदेशक, होम्योपैथी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
5. निदेशक, आयुर्वेद एवं यूनानी सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
6. समस्त राजकीय ऐलोपैथिक मेडिकल कालेजों के प्रधानाचार्य ।
7. समस्त राजकीय होम्योपैथी मेडिकल कालेजों के प्रधानाचार्य ।
8. समस्त राजकीय आयु. ई. कालेजों के प्रधानाचार्य ।
9. प्रधानाचार्य, यूनानी कालेज, इलाहाबाद/तकमील उत्तीब यूनानी कालेज, लखनऊ ।
10. सचिव, भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली ।
11. सचिव, मेडिकल कौंसिल आफ इंडिया, टेम्पल प्लेस, लोदी रोड, नई दिल्ली ।
12. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
13. सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
14. सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा/न्याय एवं विधि परामर्श/समाज कल्याण/कार्मिक ।
15. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
16. उप प्रधानाचार्य, डेन्टल विंग टी. के. जी. मेडिकल कालेज, लखनऊ ।
17. आयुक्त, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
18. चिकित्सा शाखा के समस्त अनुभाग ।

आज्ञा से,

टी. एन. [illegible]
उप सचिव ।

संख्या-2473(1)/सेक्-14/मेडि-95 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को 5 अतिरिक्त प्रतियों सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वर्ष 1995 की परीक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय, कानपुर द्वारा सम्पन्न कराए जाने के निर्णय की सूचना प्रेस के समस्त समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करें ।

आज्ञा से,

टी. एन. [illegible]
उप सचिव ।